न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 25 / 2024

1 तेजप्रताप उर्फ तेजपाल पुत्र राधेश्याम निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना हाल निवासी खण्डेला जिला सीकर।
2 परमेश्वरी देवी पत्नी राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी।

अपीलांट

बनाम

1 मूलचन्द पुत्र स्व. रामजीलाल वाके ग्राम बागोरा तहसील उदयुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी।
3 विजय कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
4 मुक्तिलाल सैनी पुत्र लच्छुराम सैनी निवासी वार्ड नम्बर 14 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.01.2024 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के अनुवानी प्रकरण मूलचन्द बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 05 / 2024 वादपत्र बाबत घोषणार्थत, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई व्यादेश को अपास्त व निरस्त किये जाने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अब्बास भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.1.25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2024 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दूरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 170, 171 वाके ग्राम बागोरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि स्वीकृत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष जिस भूमि की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित करवाने की सहायता याचना के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वादपत्र पेश किया गया था, उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने पूर्वज गजानन्द शर्मा से प्राप्त हुई थी तथा उक्त गजानन्द शर्मा को उक्त भूमि की खातेदारी जरिये प्रदर्श पी6 प्राप्त हुई थी तथा उक्त प्रदर्श पी6 के पैरा नम्बर 9 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त गजानन्द शर्मा के 3 पुत्र व 3 पुत्री सन्तान थे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र का वादी उक्त गजानन्द शर्मा का एकमात्र उत्तराधिकारी नहीं है अपितु उक्त गजानन्द शर्मा के अन्य उत्तराधिकारी अपलार्थीगण भी है, जिनका भी स्वमेव हक व हिस्सा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अंकित भूमि में था तथा गजानन्द शर्मा के नाम भूमि अलॉट होने तथा उस पर अपीलार्थीगण के पुर्वज गजानन्द शर्मा का बजा होने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

बाबत कथन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी हल्का तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी की रिपोर्ट में भी अंकित है लेकिन विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान नहीं देकर सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो कि प्रथम दृष्टया रूप से निरस्त होने योग्य है। जिस भूमि की खातेदारी की घोषणा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में जारी की गई है उक्त भूमि पर अपने पूर्वजो के समय ही अपीलार्थीगण व उसके पूर्वजों का कब्जा रहा है जिसकी ताईद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श पी6 तथा पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट भी करती है, इसके बावजूद बिना मौके की जांच किये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पक्ष में खातेदारी की घोषणा की गई है जो कि निरस्त किया जाना उचित व न्यायसंगत है। जिस भूमि की खातेदारी की उद्घोषणा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में की गई है, उसमें अविभाजित हक व हिस्सा अपीलार्थीगण का है, उस पर अविभाजित कब्जा है, इसके बावजूद सुनवाई का अवसर अथवा नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया गया है तथा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर जो निर्णय पारित किया गया है, वह एकतरफा है, इसलिए न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों से विपरित जारी निर्णय व डिक्री अवैध व शुन्य है, इस कारण से आक्षेपित आदेश निरस्त होने योग्य है, उक्तानुसार आक्षेपित आदेश की निरस्त किया जाकर प्रकरण में अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित व न्यायसंगत है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में अंकित भूमि स्वीकृत रूप से अपीलार्थीगण के पुर्वज गजानन्द शर्मा की खातेदारी भूमि थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थीगण उक्त गजानन्द शर्मा के विधिक उत्तराधिकारी होने के कारण उसका हक व हिस्सा भूमि में था लेकिन उक्त वर्णित भूमि बाबत आदेश पारित करने से पूर्व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, उक्तानुसार आक्षेपित आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्त व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण आक्षेपित आदेश की निरस्त किया जाकर प्रकरण में अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित व न्यायसंगत है इस हेतु धारा 96 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 3 व 4 के अनुसार ग्राम बागोरा पटवार हल्का बागोरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर गत 306 मी. के नवीन खसरा नम्बर 170 व 171 है पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श संख्या पी 5 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 306 गत में से भूमि गजानन्द पुत्र लादूराम को आवंटन सलाहकार कमेटी के द्वारा 09.07.1966 आवंटित की गई। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श संख्या पी 7 व पी 8 के अनुसार वाद पत्र में वर्णित भूमि को वादी के पूर्वज गजानन्द पुत्र लादू काश्त किया करते थे। पत्रावल पर मौजूद जांच रिपोर्ट 16.01.2024 के अनुसार आराजियात पर वर्तमान में मूलचन्द पुत्र रामजीलाल शर्मा का कब्जा काश्त है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जाहिर होता है कि आराजियात पर वादी के पूर्वज को आवंटित हुई थी तथा आज दिनांक तक गजानन्द पुत्र लादूराम के वारिस मूलचन्द का कब्जा काश्त है। प्रस्तुत अपील गजानन्द शर्मा के पुत्र राधेश्याम के बेटे तेजप्रताप उर्फ तेजपाल एवं राधेश्याम की पत्नी परमेश्वरी देवी की ओर से प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जाकाश्त हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपील मेमों में अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि गजानन्द शर्मा के तीन पुत्र व पुत्रियां थी। विचाराधीन निर्णय को केवल गजानन्द शर्मा के एक पुत्र राधेश्याम के वारिसों ने इस अपील के जरिये चुनौती दी है। शेष वारिसान की ओर से न तो अपील प्रस्तुत की गई है न ही अपीलांट द्वारा इस अपील में शेष वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं है। दस्तावेजो के आधार पर वादी पर जिन तनकीयात को साबित करने का भार था वादी उनको साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय ने वादी का वादपत्र साबित होने से स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श 3 व 4 के अनुसार ग्राम बागोरा पटवार हल्का बागोरा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर गत 306 मी. के नवीन खसरा नम्बर 170 व 171 है पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श संख्या पी 5 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 306 गत में से भूमि गजानन्द पुत्र लादूराम को आवंटन सलाहकार कमेटी के द्वारा 09.07.1966 आवंटित की गई। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श संख्या पी 7 व पी 8 के अनुसार वाद पत्र में वर्णित भूमि को वादी के पूर्वज गजानन्द पुत्र लादू काश्त किया करते थे। पत्रावल पर मौजूद जांच रिपोर्ट 16.01.2024 के अनुसार आराजियात पर वर्तमान में मूलचन्द पुत्र रामजीलाल शर्मा का कब्जा काश्त है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जाहिर होता है कि आराजियात पर वादी के पूर्वज को आवंटित हुई थी तथा आज दिनांक तक गजानन्द पुत्र लादूराम के वारिस मूलचन्द का कब्जा काश्त है। प्रस्तुत अपील गजानन्द शर्मा के पुत्र राधेश्याम के बेटे तेजप्रताप उर्फ तेजपाल एवं राधेश्याम की पत्नी परमेश्वरी देवी की ओर से प्रस्तुत की गई है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्ज़ाकाश्त हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अपील मेमों में अपीलांट स्वयं ने स्वीकार किया है कि गजानन्द शर्मा के तीन पुत्र व पुत्रियां थी। विचाराधीन निर्णय को केवल गजानन्द शर्मा के एक पुत्र राधेश्याम के वारिसों ने इस अपील के जरिये चुनौती दी है। शेष वारिसान की ओर से न तो अपील प्रस्तुत की गई है न ही अपीलांट द्वारा इस अपील में शेष वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 व धारा 96 स्वीकार योग्य नहीं है। दस्तावेजो के आधार पर वादी पर जिन तनकीयात को साबित करने का भार था वादी उनको साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय ने वादी का वादपत्र साबित होने से स्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 5, धारा 96 एवं गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर